

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-27012022-232920
SG-DL-E-27012022-232920

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]	दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2022/माघ 4, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 391
No. 42]	DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2022/MAGHA 4, 1943	[N. C. T. D. No. 391

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

(समावेशी शिक्षा शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 20 जनवरी, 2022

सं. फा. 230/डी.डी.ई.(आई.ई.बी.)/प्रशा.सैल/2018/250.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59—एचआईएम (I) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पर्यवेक्षक समावेशी शिक्षा अंचल के पद हेतु निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:— (i) इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, पर्यवेक्षक समावेशी शिक्षा अंचल भर्ती नियमावली 2021 कहा जाएगा।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर:— उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता इत्यादि:-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता:-** ऐसा कोई भी व्यक्ति
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।
5. **शिथिल करने की शक्ति :-**जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
6. **बचाव:-** इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	पर्यवेक्षक समावेशी शिक्षा अंचल			
2.	पदों की संख्या	:	29 * (2021) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।			
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय राजपत्रित, समूह 'ख'			
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर – 8 टिप्पणी : वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 8 (47600–151100 / – रुपये)			
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	:	चयन पद ।			
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु—सीमा	:	लागू नहीं			
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य		वांछनीय	
			योग्यता	अनुभव	योग्यता	अनुभव
			लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
					योग्यता मानक टीप	अनुभव मानक टीप
					लागू नहीं	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं आयु—सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु – लागू नहीं शैक्षणिक योग्यता – लागू नहीं			
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं			
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पद्धति		प्रतिशत	
			पदोन्नति		100	
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया	:	(i) शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत स्नातकोत्तर अध्यापक (विशेष शिक्षा अध्यापक) से			

	जाना है		पदोन्नति द्वारा 90 प्रतिशत (ii) शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत संसाधन केन्द्र समन्वयक से पदोन्नति द्वारा 10 प्रतिशत जिसके न होने पर शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत स्नातकोत्तर अध्यापक (विशेष शिक्षा अध्यापक) से पदोन्नति द्वारा । टीप 1 – वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 8 (47600 – 151100 /—रूपये) में शिक्षा निदेशालय , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत स्नातकोत्तर अध्यापक (विशेष शिक्षा अध्यापक) /संसाधन केन्द्र समन्वयक से पदोन्नति के लिए ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा अनिवार्य है । टीप 2— जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो इसमें जो भी कम हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	विभागीय पदोन्नति समिति 1. प्रधान सचिव /सचिव (शिक्षा) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अध्यक्ष) 2. प्रधान सचिव /सचिव (श्रम) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) 3. विशेष /अपर सचिव (टी.टी.ई.) (सदस्य)
13.	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	प्रत्येक अवसर पर पद भरने के लिए आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
शिंगारे रामचंद्र महादेव, पदेन संयुक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION
(INCLUSIVE EDUCATION BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 20th January, 2022

No. F. 230/DDE(IEB)/Admn.Cell/2018/250.—In exercise of the Powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No.F.27/59-Him(i) dated 13th July, 1959, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make following recruitment rules for the post of Supervisor Inclusive Education Zone in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short title and commencement :-

- (i) These rules may be called the Directorate of Education, Supervisor Inclusive Education Zone Recruitment Rules, 2021.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and pay level in the Pay Matrix :- The number of the said post, its classification and pay level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc :-** The method of recruitment to the said post, age-limit, qualification and other matter connected therewith, shall be as specified in Columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications :-** No person,

- Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person; shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax :-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax in consultation with Union Public Service Commission for any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving :-** Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	Name of post.	Supervisor Inclusive Education Zone.			
2	Number of posts.	29* (2021) *Subject to variation dependent on workload.			
3	Classification.	General Central Service Non Ministerial Gazetted Group, B.			
4	Pay level in the Pay Matrix.	8 Remark: Level-8 in the pay matrix (Rs. 47,600-1,51,100)			
5	Whether Selection post/ Non-selection post.	Selection post.			
6	Age-limits for Direct Recruits.	Not Applicable			
7	Educational and other qualification required for direct recruits.	Essential		Desirable	
		Qualification	Experience	Qualification	Experience
		Not Applicable	Not Applicable	Not applicable	Not applicable
				Qualification Standard Note	Experience Standard Note
		Not applicable	Not applicable		
8	Whether age and educational qualifications prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.	Age : Not Applicable Edu Qualification : Not Applicable			
9	Period of Probation if any	Not Applicable			
10	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Method		Percentage	
		Promotion		100	
11	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	(i) 90 per cent by promotion from Post Graduate Teacher (Special Education Teacher) under Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi. (ii) 10 per cent by promotion form Resource Center Coordinator under Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi failing which by promotion from Post Graduate Teacher (Special Education Teacher) under Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi.			

		Note 1 : For promotion from the Post Graduate Teacher (Special Education Teacher)/ Resource Center Coordinator under Directorate of Education, Government of NCT of Delhi in Level-8 of the Pay Matrix (Rs.47,600 - Rs.1,51,100/-) two years regular service in the grade is essential. Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	<u>Departmental Promotion Committee</u> 1. Pr. Secretary/ Secretary (Education) (Chairman) 2. Pr. Secretary/ Secretary (Labour) (Member) 3. Special /Add. Secretary (TTE) (Member)
13	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Consultation with the Commission is not necessary.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

SHINGARE RAMACHANDRA MAHADEV, Ex-Officio Jt.Secy., Education